वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की ''कार्य परिषद्'' की दिनांक 31.05.2024 को सम्पन्न हुई 17 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की कार्य परिषद की 17वीं बैठक दिनांक 31 मई 2024 पूर्वान्ह 11:30 बजे विश्वविद्यालय के ''पंडित नारायण दत्त तिवारी कॉन्फ्रेंस हॉल'' में मा0 कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद, वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि.देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नॉकित मा0 सदस्यगण एवं अन्य आमंत्रित सदस्य उपस्थित रहेः–

(1) प्रो0 ओंकार सिंह, कुलपति, वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि. देहरादून। –अध्यक्ष
(2) श्री श्रीप्रकाश तिवारी, उप सचिव, प्रतिनिधि,सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, –सदस्य
(3) श्री ब्योमकेश दूबे, उपसचिव, प्रतिनिधि, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। –सदस्य
(4)श्रीमती रजनी शुक्ला अपरसचिव न्याय प्रतिनिधि,प्रमुख सचिव न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन –सदस्य
(5) श्रीमती दीप्ती मिश्रा, उप सचिव, प्रतिनिधि सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून। –सदस्य
(6) श्रीमती किरण भट्ट टोडरिया, पूर्व फिक्की अध्यक्ष उत्तराखण्ड । –सदस्य
(7) श्री पंकज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड। –सदस्य
(8) डॉ0 डी0पी0 गैरोला, से0नि0 प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन। –सदस्य
(09) डॉ0 मीना तिवारी, से0नि0 प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन। –सदस्य
(10) प्रो0 दुर्गेश पंत, महानिदेशक, यू–कॉस्ट, देहरादून, उत्तराखण्ड। –सदस्य
(11)डॉ0 अमित अग्रवाल, निदेशक, आई0टी0, गोपेश्वर, चमोली गढ़वाल । – सदस्य
(12)प्रो0 शरद प्रधान, निदेशक, टी0एच0डी0सी0–आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी, गढ़वाल। – सदस्य
(13)प्रो0 एम0 के0 पांडा, निदेशक, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून। –विशेष आमंत्रित सदस्य
(14)प्रो0 एच.एल. मंडोरिया, निदेशक, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम इस्टी0 ऑफ टेक0, टनकपुर। –विशेष आमंत्रित सदस्य
(15)प्रो0 अजीत सिंह, कार्यवाहक निदेशक, नन्ही परी सीमान्त अभियान्त्रिकी संस्थान, पिथौरागढ़।–विशेष आमंत्रित सदस्य
(16)प्रो0 एच.एस. भदौरिया, कार्यवाहक,निदेशक, प्रौद्योगिकी संस्थान बौन, उत्तराकाशी, –विशेष आमंत्रित सदस्य
(17)श्री बिक्रम सिंह जन्तवाल, वित्त नियंत्रक, वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि. देहरादून। –विशेष आमंत्रित सदस्य
(18)डॉ0 वी0के0पटेल, परीक्षा नियंत्रक, वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि. देहरादून। –विशेष आमंत्रित सदस्य
(19)प्रो0 सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि. देहरादून। –पदेन सचिव

सर्वप्रथम बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। मा0 कुलपति महोदय के संक्षिप्त उद्बोधन उपरांत कुलसचिव द्वारा मा0 कुलपति/अध्यक्ष महोदय का अभार व्यक्त करते हुए मा0 कार्य परिषद के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

बिन्दु सं0–17.01

कार्य परिषद की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विनिश्चय–

बैठक में सर्वसम्मति द्वारा कार्य परिषद की 16वीं बैठक में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी न होने के दृष्टिगत कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–17.02

कार्य परिषद की 16वीं सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना।

विनिश्चय–

मा0 कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यों द्वारा कार्य परिषद की 16 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में पूर्ण हो चुकी कार्यवाहियों हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही गतिमान है, उन पर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं0:–**17–03**

विश्वविद्यालय में वित्त समिति की दिनांक 06 मार्च 2024 को संपन्न 23वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विनिश्चयः–

वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून में वित्त समिति की दिनांक 06 मार्च 2024 को सम्पन्न 23वीं बैठक में लिये गये निर्णयों को वित्त नियंत्रक द्वारा विस्तृत रूप से प्रस्तुत करते हुए मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया। वित्त समिति के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–21 में महिला प्रौद्योगिकी संस्थान सहित परिसर संस्थानों में निदेशकों की नियुक्ति पूर्व से ही शासन द्वारा सातवें वेतनमान दिये जाने के दृष्टिगत इनमें सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु प्रेषित प्रस्ताव से निदेशक को हटाते हुये शेष वांछित कार्यवाही किये जाने के आंशिक संशोधन के साथ कार्यवृत्त पर माननीय कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0:–**17–04**

विश्वविद्यालय में परीक्षा समिति की दिनांक 06 मई 2024 को संपन्न 37वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विनिश्चयः–

वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून में सम्पन्न परीक्षा समिति की दिनांक 06 मई 2024 को सम्पन्न 37वीं बैठक में लिये गये निर्णयों को परीक्षा नियंत्रक द्वारा विस्तृत रूप से प्रस्तुत करते हुए मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया। कार्यवृत्त पर माननीय कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0:–**17–05**

विश्वविद्यालय में विद्या परिषद की दिनांक 08 मई 2024 को सम्पन्न 19वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विनिश्चयः–

वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून में विद्या परिषद की दिनांक 08 मई 2024 को सम्पन्न 19वीं बैठक में लिये गये निर्णयों को कुलसचिव द्वारा विस्तृत रूप से प्रस्तुत करते हुए मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया। विद्या परिषद की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त पर माननीय कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0:–**17–06**

विश्वविद्यालय व कैंपस संस्थानों में शिक्षकों की Short Term Engagement (अल्पकालीन) 11 माह हेतु पूर्णतः अस्थाई व स्ववित्त पोषित आधार पर रखे जाने की सूचना मा0 परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

विश्वविद्यालय व परिसर संस्थानों में विगत में मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रदत्त अनुमोदनानुसार Assistant Professor- **Short Term Engagement** के आधार पर 11 माह के अवधि हेतु शिक्षकों की तैनाती 1:20 के शिक्षक, छात्र अनुपात (AICTE के मानक) पर ए0आई0सी0टी0ई0,पी0सी0आई0 एवं यू0जी0सी0, नई दिल्ली की व्यवस्था के अनुसार पूर्णतः अस्थाई व स्ववित्त पोषित आधार पर (Short Term Engagement) 11 माह की अवधि हेतु रू0 57700/–नियत वेतन पर विश्वविद्यालय व परिसर संस्थानों की शैक्षणिक आवश्यकता के अनुसार कार्य परिषद की पूर्व में दिए गये अनुमोदनानुसार निर्धारित चयन समिति की संस्तुति के अनुसार मेरिट लिस्ट से किये जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

बिन्दु सं0:–**17–07**

नरेन्द्रनगर में कैम्पस संस्थान के रूप में लॉ कालेज खोले जाने के संबंध में प्रस्ताव मा0 परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि नरेन्द्रनगर में शैक्षणिक सत्र 2024–25 से विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थान के रूप में लॉ कालेज संचालित किये जाने के संबंध में मा0 विद्या परिषद द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा0 कार्य परिषद् द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त विधि पाठयक्रमों जैसे BALLB,BBALLB,LLB,LLM में से निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के साथ इसे विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थान के रूप में प्रारंभ किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0:–**17–08**

शैक्षिक सत्र 2024–25 से गर्वमेन्ट इंटीग्रेटेड इस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी नरेन्द्रनगर में बी.टेक पाठयक्रम को संचालित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव मा0 परिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

विश्वविद्यालय के दिनांक 04 जनवरी 2024 को आयोजित कार्यपरिषद के 16वीं बैठक के बिन्दु संख्या–16.18 के क्रम में शैक्षिक सत्र 2024–25 से गर्वमेन्ट इंटीग्रेटेड इस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी नरेन्द्रनगर में कैम्पस संस्थान के रूप में बी.टेक की निम्नलिखित ब्रान्चों में संचालित करने पर सहमति व्यक्त करते हुए माननीय कार्य परिषद् द्वारा चर्चा उपरांत स्वीकृति प्रदान की गयी।

1–Artificial Intelligence (AI)	30 Seat
2–Computer Science and Engineering	60 Seat
3–Electrical Engineering	30 Seat
4–Food Technology	30 Seat

बिन्दु सं0:–17.09–

शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु विभिन्न संस्थानों के सम्बद्धता प्रकरणों को मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय के कार्यालय से प्राप्त स्वीकृति प्रदान की गयी है उक्त संस्थानों की सम्बद्धता रिपोर्ट कार्य परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष सम्बद्ध संस्थानों की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की कार्यवाही की जाती है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु आतिथि तक विभिन्न संस्थानों के सम्बद्धता प्रकरणों जिन पर मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय के कार्यालय से स्वीकृति प्रदान की गयी है उन संस्थानों की अस्थायी सम्बद्धता पर सहमति व्यक्त करते हुए माननीय कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–17.10–

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में B.Tech Cyber Security तथा PG Diploma in Cyber Security संचालित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्यों के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

मा0 कार्यपरिषद को अवगत कराया गया कि वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सत्र 2023–24 से स्ववित्त पोषित स्वरूप में सचांलित PG Diploma in Cyber Security तथा B.Tech Cyber Security की पाठ्यचर्या में द्वितीय वर्ष से चौथे वर्ष तक के कतिपय Cyber Security क्षेत्र के विषयों को Field Experts से अध्यापित कराये जाने का निर्णय वित्त समिति एवं विद्या परिषद द्वारा प्रदत्त अनुमोदनानुसार कार्यपरिषद की 16वीं बैठक के मद संख्या 16.04 में निर्णय लिया गया था। इस क्रम में पूर्व में चिन्हित संस्थाओं Cranes Varsity Bengaluru तथा CMAI New Delhi से अग्रिम कार्यवाही किये जाने के अनुरोध पर उनके द्वारा सहयोग प्रदान करने में असहमति प्रदान की गई है।

तद्क्रम में विद्या परिषद की 08 मई, 2024 को सम्पन्न 19वीं बैठक के मद संख्या 19.09 में PG Diploma in Cyber Security तथा B.Tech Cyber Security को Organizations/Industry/Field Experts के Collaboration से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में इन पाठ्यक्रमों को Cranes Varsity Bengaluru तथा CMAI New Delhi के स्थान पर चिन्हित नई संस्थाओं के साथ मिलकर पूर्व अनुमोदित शर्तों के अनुसार संचालित करने पर मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

इस परिपेक्ष्य में अवगत कराना है कि गहन खोजबीन के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा Ms. Softpro India के साथ मिलकर B.Tech Cyber Security के कतिपय विषयों को उपरोक्तानुसार पूर्व की अनुमोदित शर्तों पर अध्यापित कराते हुये संचालित किये जाने का प्रस्ताव मा0 परिषद के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। साथ ही PG Diploma in Cyber Security के संचालन हेतु Collaboration की प्रक्रिया के अन्तर्गत उपयुक्त Organizations/Industry/Field Experts के चिन्हांकन हेतु प्रयास जारी है।

मा0 कार्यपरिषद द्वारा उपरोक्तानुसार विगत में कार्यपरिषद की 16वीं बैठक के मद संख्या 16.04 में लिये गये निर्णय के क्रम में पूर्व से अनुमोदित शर्तो पर किसी भी उपयुक्त संस्था के साथ Collaboration कर उनके Field Experts के माध्यम से B.Tech Cyber Security व PG Diploma in Cyber Security अध्यापित कराये जाने पर चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–17.11–

बिहाईव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, एवं बिहाईव कॉलेज ऑफ मैनजमैंट एण्ड टैक्नोलॉजी, के सत्र 2022–23 अस्थाई सम्बद्धता का विस्तारण नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 कार्य परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

बिहाईव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, एवं बिहाईव कॉलेज ऑफ मैनजमैंट एण्ड टैक्नोलॉजी, के सत्र 2022–23 अस्थाई सम्बद्धता का विस्तारण न होने के कारण कृत कार्यवाही से मा0 कार्यपरिषद को अवगत कराया गया है कि इस सम्बन्ध में मा0 कार्यपरिषद की दिनांक 5.10.2023 को सम्पन्न 15वीं बैठक में लिए गये निणर्यानुसार संस्थान के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रगति पर है। मा0 परिषद को अवगत कराया गया कि सन्दर्भित संस्थानों को विश्वविद्यालय से विगत दो शैक्षणिक सत्रों से अस्थाई सम्बद्धता न होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय विनियमावली के बिन्दु 7.03.09 के अनुपालन में इन संस्थानों के सम–सेमेस्टर 2023–24 की परीक्षाओं हेतु संस्थान प्रतिनिधि के साथ सम्पन्न बैठक एव ंतत्क्रम में संस्थान द्वारा किये गये अनुरोध पर इनमें अध्ययनरत छात्रों को निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर दिया गया था।

Beehive College of Engineering &Technology Dehradun,

B.Tech CSE 6th Semester -01 Student,

B.Tech ME 6th Semester -01 Student,

B.Tech ME 8th Semester -04 Student,

B.Tech CE 6th Semester -05 Student,

B.Tech CE 8th Semester -06 Student **Total-17 Students**

को JBIT Dehradun में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

Beehive College of Management &Technology Dehradun.के M.B.A 4th Semester के-छात्रों को Faculty of Management VMSBUTU में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार लिए गये निर्णय तथा कृत कार्यवाही पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–17.12–

विश्वविद्यालय में Faculty of Law स्थापित किये जाने के संबंध में।

विनिश्चयः–

मा0 कार्यपरिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पूर्व से Faculty of Technology, Faculty of Pharmacy एवं Faculty of Management स्थापित है जिनमें M.Tech, B.Tech, M.Pharm, B.Pharm एवं M.B.A के पाठ्यक्रम संचालित है। इस क्रम में विश्वविद्यालय अधिनियम में हुये संशोधन के दृष्टिगत विश्वविद्यालय को विधि शिक्षा प्रदान करने की प्राधिकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन संख्या 372/XXXVI(3)/2023/45(1)/2023 दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से किये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में Faculty of Law की स्थापना कर प्रारंम्भिक चरण में वांछित तैयारी करते हुये न्यूनतम 20 क्षमता के साथ L.L.M दो वर्षीय पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित रूप में अन्य पाठ्यक्रमों की भांति आवश्यकतानुसार अस्थायी आधार पर पूर्व से अनुमोदित व्यवस्थानुसार Assistant Professor (**Short Term Engagement**) अतिथि शिक्षक

रखते हुए शिक्षकों की पूर्णतः अस्थाई व्यवस्था के तहत तैनाती यू.जी.सी./बी.सी.आई. के मानकानुसार करते हुये विश्वविद्यालय में संचालित परास्नातक पाठ्यक्रम MBA के अनुसार रू. 50,000/–प्रतिवर्ष शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क निर्धारित कर शुरू किये जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा विचार उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–17.13–

विश्वविद्यालय में शिक्षकों/अधिकारियों/निदेशक/प्राचार्य के चयन समिति तथा स्कूटनी/स्क्रीनिंग कमेटी हेतु अतिरिक्त विषय विशेषज्ञों के पैनल सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

मा0 कार्य परिषद के समक्ष विगत की भांति विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों, प्राचार्य, निदेशक, अधिकारियों, के चयन व प्रोन्नति के सम्बन्ध में कार्यपरिषद द्वारा पूर्व अनुमोदित पैनलों की सूची के साथ पटल पर प्रस्तुत अतिरिक्त विषय–विशेषज्ञों के पैनल को पूर्व से अनुमोदित पैनलों की सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मा0 कार्य परिषद द्वारा पटल पर प्रस्तुत अतिरिक्त विषय विशेषज्ञों के पैनल को पूर्व के अनुमोदित पैनलों के साथ सम्मिलित कर उपयोग किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–17.14–

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थानों के 2024–25 हेतु अस्थाई संबद्धता विस्तारण हेतु करायी जाने वाली निरीक्षण कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्ताव मा0 कार्यपरिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने सम्बद्ध संस्थानों के अस्थाई विस्तारण की कार्यवाही राष्ट्रीय नियामक ईकाइयों द्वारा वार्षिक आधार पर दिये जाने वाले अनुमोदन विस्तारण के पश्चात प्रति वर्ष भौतिक निरीक्षण कराने के बाद की जाती है।

विगत कई वर्षों में इस कार्यवाही के सम्पन्न होने में अत्याधिक विलम्ब होना परिलक्षित हुआ है एवं निरीक्षण समिति के सदस्यों के साथ सामन्जस्य बैठाते हुये कार्यवाही करने में बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अतः मा0 कार्य परिषद द्वारा अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की कार्यवाही के समयबद्ध होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे संस्थान जिन में सत्र 2024–25 में विगत शैक्षणिक सत्र 2023–24 से संचालित पाठ्यक्रमों में किसी प्रकार की क्षमता वृद्धि अथवा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन नही होता है के सत्र 2024–25 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण किये जाने पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा इन संस्थानों में निर्धारित औचक निरीक्षण निर्धारित समिति के माध्यम से कालान्तर में करा लिया जायेगा। साथ ही जिन संस्थानों में पाठ्यक्रम परिवर्तित/क्षमतावृद्धि होती है उन में निर्धारित निरीक्षण समिति द्वारा संस्थान की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु भौतिक निरीक्षण की कार्यवाही के उपरांत अग्रिम कार्यवाही करायी जायेगी। मा0 कार्य परिषद द्वारा/उक्तानुसार सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–17.15–

विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2023–24 हेतु आयोजित किये जाने वाले आगामी अष्टम दीक्षान्त समारोह के आयोजन एवं इसमें मानद उपाधि प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 कार्यपरिषद के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

मा0 कार्य परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु दीक्षान्त समारोह (अष्टम) का आयोजन अक्टूबर, 2024 में अथवा मा0 कुलाधिपति द्वारा निर्धारित तिथि पर कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मा0 परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम–2005 तथा प्रथम विनियमावली–2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत ''प्राविधिक शिक्षा'' व ''विज्ञान एवं टैक्नोलॉजी'' में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मानद उपाधि दिया जाना प्राविधानित है। विगत की भांति आगामी दीक्षान्त समारोह में भी मानद उपाधि दी जा सकती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 परिषद द्वारा सत्र 2023–24 हेतु दीक्षान्त समारोह के आयोजन एवं दीक्षान्त समारोह में प्रतिभाग करने वाले मुख्य अतिथि/विशिष्ट अतिथियों पर विचार कर नामों का पैनल तैयार कर मा0 कुलाधिपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। मानद उपाधि दिये जाने हेतु नाम का पैनल तैयार करने हेतु एक समिति का गठन विगत की भांति करने पर सर्वसम्मति से माननीय कार्य परिषद द्वारा पूर्व में गठित निम्न समिति को अनुमोदित किया गया है:–

1. प्रो0 ओंकार सिंह, कुलपति वी.मा.सि.भ.उ.प्रौ.वि.वि. देहरादून।
2. डॉ0 मनमोहन सिंह चौहान, कुलपति जी.बी.पंत कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय पंतनगर।
3. सुश्री किरण भट्ट टोडरिया, पूर्व फिक्की अध्यक्ष, उत्तराखण्ड़।
4. डॉ0 डी.पी. गैरोला, सेवानिवृत्त प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री पंकज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, उत्तराखण्ड।

उक्त समिति द्वारा नाम निर्धारित किये जायेंगे तद्उपरान्त निर्धारित किये गये नामों को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव तैयार कर माननीय कुलाधिपति, राजभवन, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जायेगा। मा0 परिषद के समस्त सदस्यों को मानद उपाधि के पैनल तैयार करने हेतु नाम सुझाने का अनुरोध किया गया तथा दीक्षान्त समारोह सम्बन्धी समस्त अग्रिम कार्यवाही हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत करते हुए माननीय कार्य परिषद द्वारा उपरोक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

बिन्दु सं0–17.16–

विश्वविद्यालय में परीक्षा सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में एक और ओ0एस0डी0 की तैनाती किये जाने की सूचना मा0 कार्य परिषद के सूचनार्थ व अनुमोदनार्थ।

विनिश्चयः–

मा0 कार्य परिषद द्वारा परीक्षा कार्यों की अधिकता के दृष्टिगत विगत में ओ0एस0डी0 के रूप में डॉ0 स्वाती सिंह राजपूत, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की तैनाती के साथ–साथ परीक्षा कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु एक

अतिरिक्त ओ0एस0डी0 (विशेष कार्याधिकारी) के रूप में श्री दीपक कुमार, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की तैनाती अपने मूल दायित्त्वों के साथ बिना किसी मानदेय /भत्ते के अतिरिक्त दायित्त्व दिये जाने पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0–17.17–

डॉ0 ए0के0 सिंह, सहायक प्रोफेसर, टी0एच0डी0सी0–आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी से सम्बन्धित प्रकरण मा0 कार्य परिषद् के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि राजभवन व उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में डॉ0 ए0के0 सिंह, सहायक प्रोफेसर, टी0एच0डी0सी0–आई0एच0ई0टी0, नई टिहरी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदनों की जांच/परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एक 03 सदस्यीय जांच समिति गठित की गयी थी। उक्त गठित जांच समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच/परीक्षण किये जाने उपरान्त अपनी रिपोर्ट निम्न्वत संस्तुति सहित विश्वविद्यालय को प्रेषित की गयी है जिसकी प्रमुख संस्तुति निम्नवत् हैः–

Recommendations:-

Finally, the committee recommends that:-

- Since Institute already has been declared a campus Institute of UTU, a fresh B.O.G. may be framed as per MOU between THDCIL and UTU Dehradun. This new B.O.G. should duly be vetted by the law department Government of Uttarakhand.
- All the benefits, Leaves and other dues should be given to Dr. A.K. Singh as per the judgment of the Hon'ble High Court as mentioned above.
- The committee recommends that the administrative posts (Assistant Registrar and Finance Controller) should be filled with qualified and experienced staff.
- The three member enquiry committee headed by Dr. R.P.S. Gangwar, found Dr. A.K. Singh guilty and he has been demoted from Associate Professor to Assistant Professor. His demotion may be reconsider by the competent authority through new B.O.G. of the Institute which has to be framed by UTU.

The enquiry committee is of the opinion that the issues raised by Dr. A.K. Singh is not so serious and grave, to hand over the case to CBI. These cases can be solved amicably having the mutual belief between the administration and the complainer. This would also pave the way for THDCIL, to take initiative in the development of the Institute and the institute can regain its name and fame as per the vision of the institute.

डॉ0 ए0के0 सिंह से सम्बन्धित प्रकरणों पर माननीय कार्य परिषद द्वारा विधिक राय का अवलोकन कर चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा करायी गई जॉच आख्या सहित संपूर्ण प्रकरण को शासन को संदर्भित करते हुये उनके निलंबन अवधि के शेष वेतन भुगतान व जॉच समिति की रिपोर्ट सहित शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

बिन्दु सं0–17.18–

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर संस्थानों में सहायक लेखाधिकारी की तैनाती के संबंध में प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर संस्थानों में सहायक लेखाधिकारी की तैनाती के संबंध में मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के परिसर संस्थानों में सम्पूर्ण वित्तीय दायित्वों का निर्वहन विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा किया जाना विश्वविद्यालय अधिनियम/विनियमावली में प्राविधानित है। वर्तमान में किसी परिसर संस्थान में नियमित/प्रतिनियुक्ति पर कोई सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी तैनात नहीं है जिसके कारण इन संस्थानों में दैनिक आधार पर वित्तीय कार्यो के निष्पादन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सभी परिसर संस्थानों में राज्य सरकार से अनुरोध कर सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी की तैनाती करवाये जाने हेतु माननीय परिषद के समक्ष चर्चा हुई जिसमें सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के पदों के सृजन व तैनाती का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु–17.19 मा0 अध्यक्ष/कुलपति महोदय की अनुमति से।

बिन्दु सं0:–17.19(1)

नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़ में वर्ष 2021 में टी0ई0क्यू0आई0पी0-III **(Technical Education Quality Improvement Programme)** के अन्तर्गत क्रय किये गये 60 नग कम्प्यूटर सिस्टम की सम्बन्धित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक अनुसार अवशेष धनराशि रू0 657000/– का भुगतान सम्बन्धित फर्म को किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव मा0परिषद् के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

माननीय कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी सस्थान, पिथौरागढ़ में वर्ष 2021 में **टी0ई0क्यू0आई0पी0-** के अन्तर्गत फर्म द प्रिंट माल, क्नॉट प्लेस, देहरादून से क्रय किये गये 60 नग कम्प्यूटर सिस्टम की कुल धनराशि रू0 4493400/– में से रू0 657000/– की कटौती करते हुए कुल रू0 3836400/– का भुगतान सम्बन्धित फर्म को टी0ई0क्यू0आई0पी0 –III के मद से किया गया है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि सम्बन्धित फर्म द प्रिंट माल, क्नॉट प्लेस देहरादून द्वारा संस्थान को प्रेषित पत्रों के माध्यम से कटौती की गयी धनराशि रू0 657000/– का भुगतान फर्म को किये जाने का अनुरोध बार–बार संस्थान से किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संस्थान के तात्कालिक प्रशासिक/जिलाधिकारी द्वारा उक्त कटौती की गयी धनराशि के फर्म को भुगतान किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण को संस्थान की आगामी प्रशासकीय परिषद् में रखे जाने के निर्देश

दिये गये थे किन्तु शासन के पत्र संख्या 564 दिनांक 564 दिनांक 09 मई, 2023 द्वारा नन्ही परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़ संस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थान के रूप में संचालित होने तथा विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् संस्थान की बी0ओ0जी0 के रूप में कार्य हेतु अधिकृत होने दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण को मा0 कार्यपरिषद् के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ पटल पर प्रस्तुत किया गया। माननीय कार्य परिषद में विस्तृत चर्चा के उपरांत प्रकरण को शासन को अंतिम निर्णय हेतु भेजने के निर्देश प्रदान किये गये।

बिन्दु सं0:–17.19(2)

यू0–कॉस्ट देहरादून एवं वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के सहयोग से **5th International Science and Technology Festival DISTF-2024** के आयोजन हेतु प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चयः–

माननीय कार्य परिषद के मा0 सदस्य प्रो0 दुर्गेश पन्त द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि यू0–कॉस्ट देहरादून एवं वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के सहयोग से **5th International Science and Technology Festival DISTF-2024** के आयोजन किया जाना प्रस्तावित है जिसमें Science and Technology के प्रचार प्रसार हेतु विषय विशेषज्ञों शिक्षकों शोधार्थियों तथा नजदीक संस्थानों के छात्रों को आंमत्रित किया जायेगा। जिसमें विभिन्न विषय –विशेषज्ञों द्वारा छात्रों को ब्याख्यान भी दिया जायेगा।

इस संबंध में महानिदेशक प्रो0 दुर्गेश पंत महानिदेशक यू0–कॉस्ट द्वारा विस्तृत रूप से इस आयोजन को परिसर संस्थानों एवं विश्वविद्यालय में कराये जाने बावत माननीय कार्य परिषद को अवगत कराया गया। प्रस्ताव पर मा0 कार्य परिषद द्वारा चर्चा के उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में समस्त सम्मानित सदस्यों एवं मा0 कुलपति महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(प्रो,सत्येन्द्र सिंह)
कुलसचिव,
वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि.

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

(रजनी शुक्ला)
अपर सचिव, न्याय
उत्तराखण्ड शासन

(दीप्ती मिश्रा)
उप सचिव
वित्त विभाग
उत्तराखण्ड शासन

(श्रीप्रकाश तिवारी)
उप सचिव
तकनीकी शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

(डॉ0 अमित अग्रवाल)
निदेशक
आई0टी0 गोपेश्वर,

(पंकज कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष,
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड,

(किरन भट्ट टोडरिया)
पूर्व अध्यक्ष
उत्तराखण्ड पूर्व फिक्की अध्यक्ष

(प्रो0 दुर्गेश पंत)
महानिदेशक
यू0–कॉस्ट, देहरादून

(प्रो0 शरद प्रधान)
निदेशक
टी.एच.डी.सी–आई.एच.ई.टी.नई टिहरी,

(डॉ0 डी0पी0 गैरोला)
से0नि0 प्रमुख सचिव न्याय
उत्तराखण्ड शासन,

(मीना तिवारी)
से0नि0 प्रमुख सचिव न्याय
उत्तराखण्ड़ शासन,

(प्रो0 ओंकार सिंह)
कुलपति,